		н н. Н			
	E MATION =	-	ार्यालय,वस्तु एवं सेवा करऔरकेन्द्रीय उ DNER (APPEALS), GST &CENTRAL	-	
310		द्विताय तल,जा ए	स टा मवन / 2 nd Floor, GST B	havan	
		रेस कोर्स रिंग	ग रोड / Race Course Ring Road	e de la companya de la	
		राज	कोट / Rajkot – 360 001		
·	Tel	e Fax No. 0281 – 2477	7952/2441142Email: cexappealsrajl	cot@gmail.com	
रजि	स्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा	:-			
क	अपील / फाइलसख्या/ Appeal /File No.	· .	मूल आदेश सं /	दिनांक/	
	V2/67/GDM/201	8-19	O.I.O. No. 14/JC/2018-19	Date 24-10-2018	
ख	अपील आदेश संख्या(Orc	ler-In-Appeal No.):			
		KCH-EXCL	J S-000-APP-030-2020		
	आदेश का दिनांक / Date of Order:	26.02.2020	जारी करने की तारीख /	26.02.2020	
			Date of issue:		
	•	(अपील्स), राजकोट द्वारा प Gopi Nath, Commission			
ग					
•1	राजकोट / जामनगर / गां	धौधाम। द्वारा उपरलिखित जारी	न्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाव मूल आदेश से सृजित: / by Additional/Joint/Deputy/Assistant Co		
घ	Rajkot / Jamnagar / Gandhidham : अपीलकर्ता &प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-				
ч			110, NH No. 8A Anjar-Galpadar roa	d Gandhidham-370201	
			रीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष al may file an appeal to the appropri		
(A)	सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्प के अंतर्गत एवं वित्त अधिवि	ाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न नेयम, 1994 की धारा 86 के अंत	न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शु गर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है ।/	ल्क अधिनियम ,1944 की धा	
	Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-				
(i)	वर्गीकरण मूल्यांकन से स ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम	ाम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल 1, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए	न्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीली ! ।/	य न्यायाधिकरण की विशेष पीत	
	The special bench o		vice Tax Appellate Tribunal of West I	Block No. 2, R.K. Puram	
(ii)	उपरोक्त परिच्छेद 1(a) म	में बताए गए अपीलों के अलावा १	शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्व 1 भवन असावा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी	5 एवं सेवाकर अपीलीय न्याया चाहिए ।/	
	To the West region Bhaumali Bhawan,	al bench of Customs, E Asarwa Ahmedabad-3800	Excise & Service Tax Appellate Trib I foin case of appeals other than as mo	unal (CESTAT) at, 2 nd entioned in para- 1(a) ab	
(iii)	किए गये प्रपत्र EA-3 को मॉग और लगाया गया जु 1,000/- रुपये, 5,000/- अपीलीय न्यायाधिकरण ब जाना चाहिए । संबंधित ड्र आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए	चार प्रतियों में दर्ज किया जाना च र्माना, रुपए 5 लाख या उससे कव - रुपये अथवा 10,000/- रुपये की शाखा के सहायक रजिस्टार के ाफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शा र आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपर	लेए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2 वाहिए । इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, म,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 5 का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा खा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यार ए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/	जहां उत्पाद शुल्क की माँग ,ब्र 50 लाख रुपए से अधिक है तो निर्धारित शुल्क का भुगतान, जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट दवा पाधिकरण की शाखा स्थित हैं ।	
(B)	अपीलीय न्यायाधिकरण व तहत निर्धारित प्रपत्र S.T. करें (उनमें से एक प्रति प्रम जर्माना,रुपए 5 लाख या उ	के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम -5 में चार प्रतियों में की जा सकेग गणित होनी चाहिए) और इनमें से उससे कम,5 लाख रुपए या 50 ह	filed in quadruplicate in form EA-3 / shall be accompanied against one 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,00 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 5 istrar of branch of any nominated pu- ctor bank of the place where the ben- companied by a fee of Rs. 500/- H,1994 की धारा 86(1) के अंतगेत सेवाकर बि गी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील ते कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की नाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है ने प्रति संतरन करें। निर्धारित शल्क का क्षेत्रात्र	नेयमवाली, 1994, के नियम ९ की गयी हो, उसकी प्रति साथ में मॉंग ,ब्याज की मॉंग और लगा है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, १	
	शाखा के सहायक रजिस्टा का भुगतान, बैंक की उस	र के नाम से किसी भी सार्वेजिनक	ते प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगताने 6 क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट दव घित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है करना होगा ।/	ारा किया जाना चाहिए । संबं	
	The appeal under s	ab contion (1) of Section S	6 of the Finance Act 1004 to the Ar	mallata Tribunal Shall	

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or Less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) ार्ड (2A) के अंतर्गत ार्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा कड़ेकी एवं उन्होंने एवं कार्या जया जपाल, सवाकर नियमवासा, 1994, का नियम 9(2) उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनके से एक पणि जापुल्स, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनके से एक पणि जापित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अधीलीय उपाणिकरण पर्व उत्पत्न करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी । /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 25 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Gervice Ten Rules. 1964 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner other the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise / Service Tex to file the appeal before the Appellate Tribunal. HIHI greet, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपलित समिकिस्प (अपलेत) के क्रियो के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम

1

1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वितीय अधिलियन, 1984 🚳 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्ला/सेव कर को भारत के महिला दा के उत्तरित स्पाकर की तो लोगू की गई ह, इस जोदर के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्ला/सेव कर को भारत 10 प्रतिशत (10%), जब लांग एवं जुर्माना विवदित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवदित है, का भुगतान किया जाए, दर्शनें कि इस प्राय के लंहांतर जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवांकर के अंतर्भरा "न्यंग किये गए शुल्क" मे निम्न शामिल है
- धारा 11 डी के अंतर्गत रकस (i)
- रोनवेट जमा की ली गई गलत राशि (ii)
- सेनवेट जमा नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत देव दुकल (iii)

(C)

7

भारत सरकार कोपूनरीक्षण आवेदन : Revision application to Government of English इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित लामलो से, केंग्रीय अत्याद युक्का अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित गंवाराय, राजस्त विकाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद माग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 411 Floor, Joevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किले. ताल को किसी कारफाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के क्षेत्राज, या किसी अंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)
- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुद्ध कच्छे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की राधी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)
- यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को साल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Shutan, without payment of duty. (iii)
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इंग्ट्री क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए है।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998. (iv)

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो भी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उत्परित आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संतरन की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियन, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संतरन की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. KA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-FF of CFA 1944 under Maior Head of Account (v)

EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी यहिए । जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो (vi) तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)
- यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, कं अलुसूचीन के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended. (E)

- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)
- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और जवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in ah data and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.

...2...

(ii)

(i)

:: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s Holiday Village Recerc Pvt Ltd appeal No. 67/GDM/2018-19 against Order-in-Original No. 14/JC/2018-19 dated 24.10.2018 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Joint Commissioner, Central GST and Central Excise, Gandhidham (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

2. Briefly stated, the facts of the case are that Show Cause Notice No. V.ST/GDM/8/Commr/2014 dated 19.11.2014 was issued to the Appellant for short payment of Service Tax and for imposition of penalty. The adjudicating authority ordered for recovery of differential service tax of Rs. 33,22,150/- along with interest and penalty. Aggrieved, the appellant has filed the instant appeal.

3. In hearing, Shri R. Subramanya, Advocate appeared on behalf of the Appellant and informed that they have opted for "Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 [for short-SVLDRS] for the issue under appeal. I find that CGST, Gandhidham vide email dated 25.2.2020 forwarded discharge certificate (SVLDRS-4) issued by the designated committee in terms of provisions of Section 127 of the Finance Act, 2019.

4. I find that as per provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019, in respect of a declarations filed under SVLDRS which is accepted by the designated committee and issued discharge certificates, the appeals before appellate authorities challenging the issue/tax dues for which settlement is sought under SVLDRS, will be deemed to have been withdrawn. The relevant provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019 is as under:

"(6) Where the declarant has filed an appeal or reference or a reply to the show cause notice against any order or notice giving rise to the tax dues, before the appellate forum, other than the Supreme Court or the High Court, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of any law for the time being in force, such appeal or reference or reply shall be deemed to have been withdrawn. "

5. In view thereof, the appeal under consideration is to be considered as withdrawn. Accordingly, I dismiss the appeal as withdrawn.

,1212020

(GOPI NATH)^{*o*} Commissioner(Appeals)

Attested

(V.T.SHAH) Superintendent(Appeals)

Page 3 of 4

By R.P.A.D.

To, M/s Holiday Village Resort and Leal, Survey No. 110, National Highway 8/4, Anjar- Galpadar Road, Gandhidham.	में, जिल्हे चिल्लेज रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, 110, नेशनल हाइवे 8/ए, जनगदर रोड,
	िल्ला कच्छ ।

प्रतिलिपि :-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एक सेक काई एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र,अहमदाबाद को जालयहर्ग केंद्र
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर २० केम्स्ट्रि उत्पद शुल्क, गांधीधाम आयुक्तालय, गांधीधाम को आवश्यक कार्यप्राही हेतु।
- 3) सयुंक्त आयुक्त, वस्तु एवं सेक करे एवं केवलेल उत्पाद शुल्क, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गाई फ्राइल।

Page 4 of 4